राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 55 / 2005 / भीलवाडा

जग्गू पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी प्रतापपुरा तहसील आसीन्द
जिला भीलवाडा

....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री मदन लाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट
श्री वी. पी. सिंह, राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 30.10.2018**

द्वारा–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील अपीलांट / वादी के वाद संख्या 92 / 03 में सहायक कलक्टर, गुलाबपुरा जिला भीलवाडा द्वारा दिनांक 20–1–2004 व भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 51 / 04 में दिनांक 5–10–2004 को पारित निर्णयों एवं डिक्रियों के विरूद्ध पेश की गई है, जिनके द्वारा अपीलांट / वादी का उक्त वाद व प्रथम अपील खारिज की गई थी।

2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि उनके खाते की खरीदशुदा आराजीयात साबिक खाता संख्या 45 आराजी नंबर 6 / 1 रकबा 1.15 बिस्वा, आराजी नंबर 5 / 1 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नंबर 181 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल 10 बीघा 8 बिस्वा जमाबंदी में उनकी खातेदारी में दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग ने वादीगण की आराजीयात में बिना किसी सक्षम

अधिकारी के आदेश के खाता संख्या 83 में 0.14 हेक्टर भूमि कम दर्ज कर दी है जबकि मौका पर बाड व कोट लगे हुए हैं। खाता संख्या 83 में आराजी नंबर 9 रकबा 0.41 हेक्टर, आराजी नंबर 17 रकबा 0.65 हेक्टर, आराजी नंबर 18 रकबा .62 हेक्टर कुल 1.68 हेक्टर भूमि वादीगण के नाम दर्ज की है तथा 0.14 हेक्टर भूमि वादीगण के रकबा में कम दर्ज की है, जो आराजी खसरा नंबर 18 में है। साबिका आराजी नंबर 6/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 5/1 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा के कुल 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि के उपरोक्त नंबर बने किन्तु रकबा कम कर दिया है। अतः वाद पेश कर निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नंबर 18 रकबा 0.62 हेक्टर भूमि में 0.14 हेक्टर भूमि का नया नम्बर घोषित किया जाकर खातेदारी घोषित की जाकर नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जावे। प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि संलग्न जमाबंदी अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है। शेष तथ्य वादीगण स्वयं सिद्ध करे। वादी को भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान उज्रदारी पेश करनी चाहिए थी। उसने ऐसा नहीं किया। अतः दावा खारिज किया जाए। विचारण न्यायालय ने चार तनकियात कायम कर साक्ष्य वादीगण में जग्गू पी डब्ल्यू 1 के तथा साक्ष्य प्रतिवादी में पटवारी हल्का जयलाल डी डब्ल्यू 1 व गिरदावर डी डब्ल्यू 2 के बयान लेखबद्ध किए। दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 20–1–2004 के निर्णय व डिक्री के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। वादी द्वारा पेश प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5–10–2004 के द्वारा खारिज की गई। अतः वादी ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/वादी की दलील है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह बात साबित मानी है कि भू प्रबंध विभाग के अधिकारियों ने वादीगण की भूमि का रकबा कम दर्ज किया है। इसलिए दोनों न्यायालयों द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की गई है किन्तु यह जमीन किस आराजी में गई, यह तथ्य वादी द्वारा सिद्ध नहीं करना अंकित करते हुए वाद खारिज किया गया है। उनकी दलील है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के वाद व अपील खारिज करने के निष्कर्ष विधि सम्मत नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा परीक्षीत गवाहान ने यह स्वीकार किया है कि वादीगण की भूमि में 0.14 हेक्टर रकबा कम हुआ है। उनकी यह भी दलील है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादी/अपीलांट को सम्पूर्ण गांव के रकबा हेतु वाद पेश

करना चाहिए था तब ही यह दुरूस्ती सम्भव है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की उक्त फाइन्डिंग्स विधिवत नहीं है। चूंकि यह त्रुटि सेटलमेन्ट विभाग ने की है, इसलिए वादी को इसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि भूमि को रबर की तरह नहीं माना जा सकता है, जिसे खीचकर बढाया जाए। विद्वान अधिवक्ता की दलील है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निष्कर्ष को सही माना जाए तो ठीक उसी तरह अपीलांट की भूमि को भी तोडकर कम नहीं किया जा सकता है। अतः निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाए।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. उभय पक्ष के अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के यह समवर्ती निष्कर्ष रहे हैं कि वादी का मौका पर 1.70 हेक्टर भूमि पर ही कब्जा है। हालांकि वादीगण की आराजीयात में से 0.14 हेक्टर भूमि कम करते हुए राजस्व अभिलेख में अंकन किया गया है। किन्तु वादीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि यह रकबा किस आराजी में गया है। वादी को अपना मामला स्वयं के पॉव पर खडा रह कर साबित करना था, जिसे वह साबित नहीं कर पाया है।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की Perversity या illegalty नही हैं। इसलिए उनमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

9. लिहाजा अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य